फर्द अहकाम

कजोड़ बनाम भेरु

2020/00120

नाम न्यायालय

केस संख्या 59/2020

T.I.

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/12/20	वकील मनुवत्सल भारद्वाज ने प्रा०पत्र T.I. पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 24/12/20 को पेश हो। [signature]	
24/12/20	व० प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से पॉवर पेश हुआ। जो शा० मि० रहे। पत्रावली वास्ते जवाब T.I. दिनांक 13/01/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)	
13/01/21	व० प० उपस्थित। बहस अन्तरिम पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 24/02/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)	
24/02/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः आग्रिम कार्यवाही हेतु दिनाक 26/2/21 को पेश हो। [signature]	
26/2/21	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनाक 1/3/21 को पेश हो। [signature]	
1/3/21	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनाक 9/3/21 को पेश हो। [signature]	
09/03/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] सुनी गई। [illegible] किया प्रार्थना पत्र T.I. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0–59/2020
उनवान–कजोड बनाम सेडू
निर्णय दिनांक:–09.03.2021

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 59/2020

उनवान

1. कजोड पुत्र स्व. चिमना
2. कालू पुत्र स्व. चिमना
3. बनवारी उर्फ बन्ना पुत्र स्व. चिमना

समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/वादीगण–

बनाम

1. सेडू पुत्र भागीरथ
2. मालीराम पुत्र भागीरथ
3. चन्दा पुत्र भागीरथ

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण–

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(प्रा0प0 अ0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.)

निर्णय

दिनांक :– 09.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खेजरोली–बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 461 में वर्णित [illegible]सरा नम्बर 2873 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता चिमना पुत्र रुडा का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण/वादीगण के पिता चिमना पुत्र रुडा का स्वर्गवास हो चुका है। तथा स्व0 चिमना के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कार कूनान की गलती के कारण स्व0 चिमना पुत्र रुडा की जाति सहवन से नायक के स्थान पर खटीक दर्ज हो गई जिस सन्दर्भ में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। इसी कारण फौती नामान्तकरण अभी तक नहीं खुला है तथा प्रार्थीगण/वादीगण अपने पिता चिमना के नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमिया विवादग्रस्त आराजीयात है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये दिन प्रार्थीगण/वादीगण की भूमि की सींव डोल में छेडछाड करते रहते है तथा प्रार्थीगण/वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवध[illegible] द्वारा फसल की सुरक्षार्थ खातेदारी भूमि की बनी हुई सींव डोल को तोड[illegible]ओं को प्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रवेश करवा[illegible] की भूमि पर रोड के लगवा जबरिया कब्जा [illegible]वादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई हक अधिकार प्रा[illegible] संख्या 1 ता 3 दिनांक 03.11.2020 को विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्ब[illegible]रोकार नहीं होने के बावजूद भी जबरिया कब्जा करने की नियत से रोड के लगवा भूमि पर निर्माण सामग्री पत्थर, ईंटे, बजरी इत्यादि डालकर तथा मौके पर अवैध रुप से नींव खोदकर निर्माण कार्य करने लगे जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा आपत्ति ऐतराज करने पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण को विवादित भूमि पर जबरिया लठ के बल पर अवैध रुप से निर्माण कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)

Scanned with CamScanner

करने व प्रार्थीगण / वादीगण को उनकी कब्जेशुदा काश्त एवं स्वामित्व की भूमि से बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी तथा कहा की हम तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते इस पर वादी ने पुलिस चौकी खेजरोली में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध शिकायत की तो चौकी प्रभारी ने मौके पर जाकर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को पाबन्ध किया जिस पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने निर्माण कार्य बन्द कर दिया परन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 07.11.2020 को पुनः भारी मात्रा में कारीगर मजदूरों को लगाकर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य चालू कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण / वादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण / वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध किया जावें कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण / वादीगण की भूमि की सींव डोल तोड—फोड करें, ना ही प्रार्थीगण / वादीगण की भूमि में जबरिया अवैध अतिक्रमण करें, ना ही खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर प्रार्थीगण / वादीगण को बेदखल करें। उक्त कृत्य अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस के जवाब में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री चरण सिंह उपस्थित हुए। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करनी चाही तथा बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी पडौसी खातेदार काश्तकार नहीं है नाही प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रार्थी भी खातेदार नहीं है ना ही सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने की आड में सहखातेदारों को पाबन्द करवाना चाहते है। प्रार्थी को घोषणा का दावा करना चाहिए। प्रार्थीगण / वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों को दोहराया जो प्रार्थना पत्र में अंकित है तथा कथन किया की सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण / वादीगण चिमना के वारिसान है अतः घोषणा के दावें की आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का निर्णय तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय) चौमूँ

Scanned with CamScanner